**डेल्टा मैककॉन्स (इंडिया) लिमिटेड।**

**बनाम**

**मै.मार्बेनी कार्पोरेशन**

**18 मई 2007**

**(पी. के. बालासुब्रमण्यन जे.)**

**मध्यस्थता और सुलह अधिनियम-1996**

**धारा 11- मध्यस्थता न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति -मध्यस्थता समझौते के अनुसार प्रत्येक पक्षकार द्वारा एक मध्यस्थ और मध्यस्थता न्यायाधिकरण के अध्यक्ष को इन दो मध्यस्थों द्वारा नामित किया जाना पीठासीन मध्यस्थ अनुबंधित पक्षकारो की राष्ट्रीयता का नहीं होगा इस प्रकार नियुक्त दो मध्यस्थ पीठासीन मध्यस्थ को नामित करने में विफल रहे, समझौते के अनुसार जब अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मण्डल से संपर्क किया गया तो उसने मध्यस्थता न्यायाधिकरण कि नियुक्ति करने से इन्कार कर दिया। पीठासीन मध्यस्थ कि नियुक्ति के लिए भारत के मुख्य न्यायाधिश के समक्ष धारा 11 के तहत आवेदन दायर किया गया। हालांकि पक्षकार सहमत हुए कि मध्यस्थता अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यक सभा के विचार**

विमर्श और मध्यस्थता के नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए। लेकिन मध्यस्थता प्रक्रिया संचालन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यक सभा के नियमों के पालन करने का समझौता मध्यस्थता समिति की नियुक्ति के सम्बन्ध में कि गयी सहमति से भिन्न हैं आईसीसी के समक्ष अपनी प्रक्रिया के अनुसार मध्यस्थता करने के लिए पक्षों पर कोई बाध्यता नहीं हैं मध्यस्थता न्यायाधिकरण का गठन करने के लिए पक्षों पर सहमत प्रक्रिया टूट गयी। मध्यस्थता अध्यक्षों कि नियुक्ति के लिए पक्षकारों को भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पेश करना उचित हैं। मध्यस्थता न्यायाधिकरण का अध्यक्ष संविदाकारी पक्षों की राष्ट्रीयता से अलग राष्ट्रीयता का होना चाहिए यह नहीं कहा जा सकता हैं कि जबसे मध्यस्थ उन परिस्थितियों में था जिन्हें अधिनियम 11 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके नामिती द्वारा नियुक्त किया जाना था राष्ट्रीयता का प्रतिबंध लागू नहीं होगा - इसलिए पक्षकार उस व्यक्ति कि सहमति से एक सहमत नाम प्रस्तुत करेंगे या वे सहमत होने में सक्षम नहीं हैं तो वे मध्यस्थता न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए नामितो कि सहमति से दो-दो नाम प्रस्तुत करेंगे। अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य मण्डल का सुलह और मध्यस्थता नियम।

सिविल मूल क्षेत्राधिकार; मध्यस्थता याचिका संख्या 11/2006

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1998 की धारा 11(6) के तहत

याचिकाकर्ताओं की ओर से; एम- सी- ढींगरा, डॉ वी के अग्रवाल, सुनील गोयल और आरती टोपू।

प्रत्यर्थी की ओर से: हरीश एन- साल्वे (वरिष्ठ अधिवक्ता), मनु नायर और विप्लव शर्मा सुरेश ए श्रॉफ एंड कंपनी।

न्यायालय का आदेश दिया गया था

<u>आदेश</u>

1- प्रतिवादी ने आंध्र प्रदेश राज्य के करीमनगर जिले के रामागुंडम में एक थर्मल पावर प्लांट के निर्माण की परियोजना शुरू की। इसने उस कार्य से संबंधित याचिकाकर्ता के साथ चार उप-संविदाएँ की। उप-संविदाएँ की सामान्य शर्तें चार अलग-अलग अनुबंधों का हिस्सा होनी थीं। उप-संविदा 25-7-2001 को 7-8-2001 से समाप्त कर दिए गए। ऐसा प्रतीत होता है कि पक्षों के बीच बाद में चर्चा हुई और याचिकाकर्ता को देय राशि के निर्धारण के आधार पर प्रतिवादी द्वारा भुगतान किया गया और बदले में याचिकाकर्ता ने लिखित रूप में दिया कि उसे प्रतिवादी से पूर्ण और अंतिम भुगतान प्राप्त हुआ है। दोनों के बीच समझौते की शर्तें और एक प्रमाण पत्र भी कि उक्त चार उप-संविदाओं के खिलाफ सभी भुगतान याचिकाकर्ता को प्रतिवादी द्वारा किए गए हैं और याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त

किए गए हैं और निपटान के लिए प्रतिवादी के पास कोई बिल लंबित नहीं है। इस आधार पर मामला शांत होने के बाद याचिकाकर्ता ने चार उप-संविदाओं के संबंध में दावा किया। याचिकाकर्ता ने एक मध्यस्थ का नाम भी बताया और प्रतिवादी से मध्यस्थता समझौते के संदर्भ में एक मध्यस्थ का नाम देने का आह्वान किया। प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता के दावों पर विवाद किया और दलील दी कि चार उप-संविदाओं में से किसी के आधार पर याचिकाकर्ता के लिए कोई दावा मौजूद नहीं था। फिर भी अपने तर्कों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रतिवादी ने एक मध्यस्थ का भी नाम दिया। मध्यस्थता समझौते के संदर्भ में दो नामांकित मध्यस्थों को एक साथ मध्यस्थता न्यायाधिकरण के अध्यक्ष या पीठासीन मध्यस्थ का नाम देना था। नामांकित मध्यस्थ ऐसा करने में विफल रहे।

2- "कुछ हद तक बहस करने के बाद, दोनों पक्षों के विद्वान वकील सहमत हुए और तर्क प्रस्तुत किया कि पक्षों के बीच मुख्य विवाद अलग-अलग मध्यस्थता कार्यवाही का विषय है और इस स्तर पर इस न्यायालय की टिप्पणियों को आमंत्रित करना आवश्यक या उचित नहीं हो सकता है। ऐसे दावों को संतुष्ट करने के लिए किसी भी पक्ष के किसी भी दावे या दायित्व की वैधता और वैधता पर विचार करता है। इसलिए, यह संयुक्त रूप से तर्क दिया गया था कि सभी अपीलों को इस टिप्पणी के साथ वापस ले लिया जा सकता है कि पक्ष अपने मामले को मध्यस्थ न्यायाधिकरण के

समक्ष रख सकते हैं, जो विवाद में किए गए किसी भी अवलोकन से प्रभावित हुए बिना संदर्भित विवाद का फैसला कर सकता है। निर्णय और यह तथ्य भी कि इन अपीलों पर गुण-दोष के आधार पर किसी आदेश के लिए दबाव नहीं डाला गया था।"

3- पक्षकारों के बीच समझौते में निहित मध्यस्थता से संबंधित प्रासंगिक खंड इस प्रकार हैं;

"21. विवादों का निपटारा

यदि किसी भी समय ठेकेदार और उपठेकेदार के बीच उपठेके या उपठेकेदार कार्यों के संबंध में या उससे उत्पन्न कोई प्रश्न, विवाद या मतभेद उत्पन्न होता है, तो कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को ऐसे प्रश्न, विवाद की प्रकृति को निर्दिष्ट करते हुए लिखित रूप में नोटिस देगा। या मतभेद और मुद्दे पर बात, और पक्षकार मामले पर चर्चा करेंगी और सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंचने का प्रयास करेंगी। यदि पक्ष उक्त नोटिस की तारीख के बाद साठ (60) दिनों के भीतर किसी सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंचने में विफल रहते हैं, तो मामले को इसके खंड 22 के अनुसार मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा।

**22- मध्यस्थता**

**22.1 कोई भी विवाद जिसे इसके खंड 21 के अनुसार पक्षकारों के बीच हल नहीं किया जा सकता है उसे विशेष रूप से इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स के सुलह और मध्यस्थता के नियमों के अनुसार आयोजित मध्यस्थता द्वारा निपटाया जाएगा। प्रत्येक मध्यस्थ न्यायाधिकरण में तीन मध्यस्थ शामिल होंगे। ठेकेदार और उप-ठेकेदार प्रत्येक एक मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और इस प्रकार नियुक्त दो मध्यस्थ संयुक्त रूप से अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए तीसरे मध्यस्थ पर सहमत होंगे। यदि बाद के सदस्य की नियुक्ति की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर ऐसा समझौता नहीं हो पाता है तो तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा की जाएगी। उक्त अध्यक्ष उप-संविदा के किसी भी पक्ष की राष्ट्रीयता के समान नहीं होगा।**

**22.2 मध्यस्थता भारत में आयोजित की जाएगी।**

**22.3 प्रत्येक मध्यस्थता में प्रदान किए गए सभी लिखित दस्तावेजों पर इस्तेमाल की जाने वाली भाषा अंग्रेजी होगी।**

**22.4 मध्यस्थ न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम और दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी माना जाएगा और किसी भी तरह की अपील के अधीन नहीं होगा।**

**22.5 मध्यस्थता न्यायाधिकरण के फैसले के आधार पर मध्यस्थता की लागत और खर्च पक्षकार द्वारा वहन किया जाएगा।**

**22.6 किसी विवाद या प्रश्न के अस्तित्व के बावजूद मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान उप-संविदा कार्य का निष्पादन जारी रहेगा।**

**4- जब नामित मध्यस्थ एक पीठासीन मध्यस्थ को नामित करने में विफल रहे तो याचिकाकर्ता ने इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स संक्षेप में आईसीसी से अनुरोध किया कि पीठासीन मध्यस्थ को आईसीसी द्वारा नामित किया जा सकता है। आईसीसी और पक्षकारों के बीच कुछ पत्राचार हुआ और अंततः आईसीसी ने याचिकाकर्ता को सूचित किया कि आईसीसी ने नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में आईसीसी के नियमों के अनुसार मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अध्यक्ष को नियुक्त नहीं करने का निर्णय लिया है। यह उस संदर्भ में था कि याचिकाकर्ता ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 11 के तहत इस आवेदन के साथ इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था ।**

5- याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क प्रस्तुत किया कि मध्यस्थता समझौते के अनुसार याचिकाकर्ता और प्रतिवादी ने अपने मध्यस्थों को नामित किया है लेकिन नामांकित मध्यस्थ उसके संदर्भ में एक पीठासीन मध्यस्थ नियुक्त करने में विफल रहे थे और उस संदर्भ में समझौते के अनुसार याचिकाकर्ता ने एक पीठासीन मध्यस्थ को नामित करने के लिए आईसीसी से संपर्क किया लेकिन आईसीसी ने बिना कोई कारण बताए अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। उस संदर्भ में यह प्रस्तुत किया गया था कि अधिनियम के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश का अधिकार क्षेत्र एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता होने के नाते आकर्षित होता है और धारा 11 के संदर्भ में एक पीठासीन मध्यस्थ नियुक्त करना उचित और आवश्यक था। अधिनियम का यह तर्क प्रतिवादी द्वारा विवादित है गुणों पर दलील देने के अलावा कि याचिकाकर्ता के लिए कोई मौजूदा दावा नहीं था और मध्यस्थता सीमा द्वारा वर्जित है यह तर्क देकर कि याचिकाकर्ता ने पहले आईसीसी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया था आईसीसी से पीठासीन मध्यस्थ का नाम बताने और उस संदर्भ में धारा 11 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करना अधिनियम का आकर्षित नहीं है यह भी तर्क दिया गया कि चार उप-संविदायें थी और चार अलग-अलग अनुबंधों से संबंधित विवादों के संबंध में पीठासीन मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए एक ही आवेदन सुनवाई योग्य नहीं था। यह याचिकाकर्ता के लिए था कि वह आईसीसी नियमों का

पालन करने और उन नियमों का पालन करने के लिए सहमत हो ताकि आईसीसी द्वारा अपने नियमों के अनुसार एक मध्यस्थ नियुक्त किया जा सके और याचिकाकर्ता ऐसा करने में विफल रहा याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन में कहा गया था केवल अस्वीकार किया जाना है मध्यस्थता समझौता स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है कि पक्षकारों के बीच विवादों को विशेष रूप से इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स के सुलह और मध्यस्थता के नियमों के अनुसार आयोजित मध्यस्थता द्वारा निपटाया जाना है। इसलिए यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता ने उक्त नियमों का पालन नहीं किया है।

6- यह सच है कि एक खंड है कि मध्यस्थता आईसीसी के सुलह और मध्यस्थता नियमों के अनुसार आयोजित की जानी है। लेकिन इसमें यह भी प्रावधान है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण में तीन मध्यस्थ शामिल होंगे। ठेकेदार और उप-ठेकेदार को प्रत्येक को एक मध्यस्थ नियुक्त करना था और इस प्रकार नियुक्त दो मध्यस्थों को संयुक्त रूप से अध्यक्ष के रूप में तीसरे मध्यस्थ पर सहमत होना चाहिए। यदि ऐसा समझौता दिए किए गए समय के भीतर नहीं होता है तो तीसरा मध्यस्थ आईसीसी द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अध्यक्ष को उप-संविदा के किसी भी पक्ष की समान राष्ट्रीयता का नहीं होना चाहिए। मध्यस्थता समझौते का अभिप्राय जानने के लिए इसे समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए।

7- मध्यस्थता समझौते में प्रवेश करते समय पक्षकारों के लिए यह खुला है कि वे यह बताएं कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण का गठन कैसे किया जाना चाहिए। नियमों का पालन कराने की व्यवस्था करना भी उनके लिए खुला है। जैसा कि मैंने मध्यस्थता समझौते को पढ़ाए मैंने पाया कि पक्षकारों ने एक मध्यस्थ को नामित करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखा था प्रत्येक ने यह निर्धारित किया था कि नामित दो मध्यस्थों को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए तीसरे मध्यस्थ पर सहमत होना चाहिए। दूसरे शब्दों में पक्षकारों ने अपने समझौते से अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए तीसरे मध्यस्थ को नियुक्त करने की जिम्मेदारी दो मध्यस्थों पर छोड़ दी है। वे इस बात पर भी सहमत हुए हैं कि यदि दो मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ को नियुक्त करने में विफल रहते है तो तीसरे मध्यस्थ को आईसीसी द्वारा नियुक्त किया जाना था।

8- यह प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क था कि एक बार जब पक्षकारों द्वारा विचार की गई मशीनरी विफल हो गई तो याचिकाकर्ता केवल इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स के सुलह और मध्यस्थता के नियमों के माध्यम से जा सकता था और याचिकाकर्ता आगे नहीं बढ़ा था। उक्त नियमों की शर्तों के अनुसार आईसीसी द्वारा एक पीठासीन मध्यस्थ की नियुक्ति न करना उचित था और उस संदर्भ में याचिकाकर्ता के लिए इस न्यायालय में जाने के लिए कोई कार्रवाई का कारण उत्पन्न नहीं हुआ है।

जैसा कि मैंने मध्यस्थता समझौते को पढ़ा है इसमें दो भाग हैं। सबसे पहले पक्षकार इस बात पर सहमत हुए है कि मध्यस्थता इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स के सुलह और मध्यस्थता के नियमों के अनुसार आयोजित की जानी चाहिए। उस पर सहमत होने के बाद पक्षकार मध्यस्थ न्यायाधिकरण बनाने के तरीके पर भी सहमत हो गए है। यह पक्षकारों द्वारा एक-एक मध्यस्थ को नामांकित करने और नामांकित मध्यस्थों द्वारा न्यायाधीकरण के अध्यक्ष या पीठासीन मध्यस्थ को नियुक्त करने के द्वारा होता है। उन्होंने अध्यक्ष या पीठासीन मध्यस्थ का नाम नामित करने में नामित मध्यस्थों की विफलता पर विचार किया है और उन्होंने उस चूक की आपूर्ति के लिए साधन प्रदान किए हैं। वे इस बात पर सहमत हुए हैं कि उस स्थिति में पीठासीन मध्यस्थ की नियुक्ति आईसीसी द्वारा की जानी चाहिए। मेरे अनुसार मध्यस्थता कार्यवाही के संचालन में आईसीसी के नियमों का पालन करने का समझौता मध्यस्थ न्यायाधिकरण की नियुक्ति के संबंध में समझौते से अलग है। पक्षकारों के समक्ष इसकी प्रक्रिया और नियमों के अनुसार मध्यस्थता करने का कोई दायित्व नहीं हैए यहां तक कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के संविधान सहित आईसीसी के लिए मध्यस्थता न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए कार्य करना। वास्तव में यह कहने के अलावा कि वह एक पीठासीन मध्यस्थ नियुक्त करने से इनकार करता है आईसीसी ने ऐसा करने से इनकार करने का कोई विशेष कारण नहीं बताया है। न ही मैं प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ

वकील की इस दलील से सहमत हूं कि जब तक पक्षकार मध्यस्थता न्यायाधिकरण बनाने के अपने अधिकारों को आईसीसी को नहीं सौंप देतीं तब तक आईसीसी द्वारा पीठासीन मध्यस्थ का नाम देने से इनकार करना उचित नहीं होगा। आख़िरकार मध्यस्थता के माध्यम से विवादों के निपटारे की प्रक्रिया (Cursus curiae न्यायालय का अभ्यास न्यायालय का कानून है) है और पक्ष अपने न्यायाधीश को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं और इस हस्तगत मामले पक्षों ने न्यायाधिकरण के गठन का तरीका प्रदान किया है। इसलिए उनके समझौते से कोई अमान्यता जुड़ी नहीं है। यदि नामित मध्यस्थ अध्यक्ष का नाम बताने में विफल रहे तो वे आईसीसी से संपर्क करने पर सहमत हुए थे। एक पक्ष ने मध्यस्थता समझौते के संदर्भ में चूक की आपूर्ति के लिए आईसीसी को आवेदन दिया था। आईसीसी ने अपने कारणों से कार्रवाई के लिए आवेदन किया है। इसलिए मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि नामित मध्यस्थ समझौते के संदर्भ में एक पीठासीन मध्यस्थ को नामित करने में विफल रहे हैं और उस संबंध में आईसीसी ने समझौते के संदर्भ में रिक्ति की आपूर्ति नहीं की है। उस संदर्भ में मध्यस्थता न्यायाधिकरण के गठन के लिए पक्षकारों द्वारा सहमत प्रक्रिया मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अध्यक्ष या पीठासीन मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष याचिकाकर्ता के दृष्टिकोण को उचित ठहराते हुए टूट गई है। एक पक्ष ने मध्यस्थता समझौते के संदर्भ में चूक की आपूर्ति के लिए आईसीसी को आवेदन दिया था। आईसीसी ने अपने

कारणों से कार्रवाई के लिए आवेदन किया है। इसलिए मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि नामित मध्यस्थ समझौते के संदर्भ में एक पीठासीन मध्यस्थ को नामित करने में विफल रहे हैं और उस संबंध में आईसीसी ने समझौते के संदर्भ में रिक्ति की आपूर्ति नहीं की है। उस संदर्भ में मध्यस्थता न्यायाधिकरण के गठन के लिए पक्षकारों द्वारा सहमत प्रक्रिया है मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अध्यक्ष या पीठासीन मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष याचिकाकर्ता के दृष्टिकोण को उचित ठहराते हुए टूट गई है। एक पक्ष ने मध्यस्थता समझौते के संदर्भ में चूक की आपूर्ति के लिए आईसीसी को आवेदन दिया था। आईसीसी ने अपने कारणों से कार्रवाई के लिए आवेदन किया है। इसलिए मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि नामित मध्यस्थ समझौते के संदर्भ में एक पीठासीन मध्यस्थ को नामित करने में विफल रहे हैं।

9- मुझे प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ वकील के इस तर्क में ज्यादा विशेषता नहीं दिखती कि पीठासीन मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए चार अलग-अलग आवेदन होने चाहिए थे क्योंकि इसमें चार उप-संविदा शामिल थे। यह मानते हुए भी कि विवाद में दम है मैं इसे अत्यधिक तकनीकी होने के कारण अस्वीकार करता हूँ।

10- याचिकाकर्ता के लिए किसी भी अन्य दावे के अस्तित्व में न रहने और अनुरोध को सीमा से रोक दिए जाने के संबंध में गुण-दोष पर

मेरे सामने ज्यादा बहस नहीं हुई। पक्षकार इस आधार पर आगे बढ़े कि ये मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निर्णय के लिए प्रश्न थे। ऐसा विशेष रूप से अधिनियम की धारा 9 के तहत आवेदनों में जिला न्यायालय के आदेशों से उत्पन्न अपीलों में गुजरात उच्च न्यायालय में उनके द्वारा अपनाए गए रुख के संदर्भ में हो सकता है। इस मामले की परिस्थितियों मेंए इन प्रश्नों का निर्णय मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा किया जाना है।

11- मध्यस्थता समझौते के अनुसार मध्यस्थता न्यायाधिकरण के अध्यक्ष को अनुबंध करने वाले दलों की राष्ट्रीयता से भिन्न राष्ट्रीयता का होना चाहिए। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि चूंकि मध्यस्थ की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति द्वारा धारा 11 के अनुसार की जा रही थी। अधिनियम के अनुसार यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा और मैं किसी को भी अध्यक्ष या पीठासीन मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र हूं। मैं सहमत होने की स्थिति में नहीं हूं उपरोक्त मेरे तर्क के आलोक में यह स्पष्ट है कि पक्षकारों के बीच समझौते के इस हिस्से को भी प्रभावी बनाया जाना चाहिए। इसलिए यह एक ऐसा मामला है जहां मुझे मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति करनी है जो दोनों पक्षों की राष्ट्रीयता से भिन्न राष्ट्रीयता का हो। यह कहना पर्याप्त है कि फिलहाल मैं मानता हूं कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अध्यक्ष का नाम नामित करने का मेरा अधिकार

क्षेत्र सही ढंग से लागू किया गया है और मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अध्यक्ष को मेरे द्वारा नियुक्त किया जाना है।

12- मुझे अध्यक्ष का नाम बताने में सक्षम बनाने के लिए मैं पक्षकारों को निर्देश देता हूं कि वे या तो उस व्यक्ति की सहमति से एक सहमत नाम प्रस्तुत करें या यदि वे सहमत नहीं हो पाते हैं तो नामांकित व्यक्तियों की सहमति से दो-दो नाम प्रस्तुत करें। मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया गया। इसलिए पक्षकारों को 10 जुलाई 2007 को या उससे पहले ऊपर बताए गए नामों को दर्शाते हुए लिखित रूप में एक संयुक्त बयान या अलग-अलग बयान दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है और मामले को 13 जुलाई 2007 को अगले आदेश के लिए निर्धारित किया जाएगा।

**[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक, न्यायिक अधिकारी रवीद्र प्रताप सैनी (आर. जे. एस.) द्वारा किया गया है।]**

**अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।**